

फर्द अहकाम

न्यायालय उपरखण्ड अधिकारी चाकण

बनाम शमसुख शमसुख

मुकदमा संख्या / वर्ष : 172/2019

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>वह अवपत्तों की लुजने के उपरान्त व पहावपी का अवलोकन करने के उपरान्त जार्ज का प्रा. पत्र सीमांत किया जाकर ग्राम आंकारिया के आता ल. 5 व 32 में छोड़, शमसुख व लोनी के हिसते पर ताईलवावाद रिमडि की प्रशान्ति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">पहावपी के लत शुमार दोकर दर्ज नम्बर लेऊर दी</p>	

(2)
उपरखण्ड अधिकारी
चाकण (आमपुर)